केवल बाहर निकलने वाले ग्राहकों के लिए NRE/NRO सावधि/आवर्ती जमा अनुरोध प्रपत्र

Equitas Small Finance Bank

आवेदन तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐

मौजूदा ग्राहक का UCIC :__________________ डेबिट खाता संख्या : ________________________ (NRE/NRO)

ग्राहक का नाम
आवेदक 1 ____ आवेदक 2____

अवधि: _________ महीनों ___________ दिनों
राशि रु. _____________ (शब्दों में) ____
पैन नंबर _____________________ / फ़ॉर्म 60 जमा करना होगा।

खुदरा सावधि जमा

NRE FD ☐ **NRO FD** ☐ (✓ कोई भी)

ब्याज की आवृत्ति (✓ कोई भी)	**परिपक्वता निर्देश** (✓ कोई भी)
भुगतान : ☐ मासिक ☐ त्रैमासिक पुनर्निवेश ☐	☐ स्वत: नवीनीकरण मूलधन ☐ मूल भुगतान ☐ स्वत: नवीनीकरण मूलधन और ब्याज (यदि सही का निशान नहीं लगाया गया है तो डिफ़ॉल्ट)
संचयी ☐ (यदि सही का निशान नहीं लगाया गया है तो डिफ़ॉल्ट)	☐ स्वत: नवीनीकरण मूलधन और ब्याज ☐ मूलधन और ब्याज चुकाएँ

ब्याज भुगतान अनुदेश

☐ मेरे इक्विटास खाता नंबर को क्रेडिट करें __________________________ या
☐ मेरे खाता नंबर को क्रेडिट करें। ___________________ बैंक का नाम ___________________________ खाता प्रकार _________________________
शहर ________________ शाखा __________________ IFSC कोड _______________ (कृपया खाते का रद्द चेक संलग्न करें)।
*जमा की बुकिंग की तारीख़ से 6 महीने पूरे होने से पहले प्री-क्लोज किये जाने पर NRO सावधि जमा पर 1% का प्री-क्लोजर जुर्माना लागू होता है।

आवर्ती जमा विवरण

☐ NRE RD ☐ NRO RD

RD किस्त राशि रु.. अवधि .... महीने (न्यूनतम 12 महीने और उससे अधिक)
RD के लिए स्थायी निर्देश : कृपया मेरा (NRE/NRO) खाता नंबर डेबिट करें ....पर ☐☐ प्रत्येक माह का (वैकल्पिक)
*कृपया RD ब्याज दर अवधि वार स्लैब देखें

₹3 करोड़ और उससे अधिक के लिए बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट

NRE FD ☐ **NRO FD** ☐ (✓ Anyone)

*दर: ________ %
☐ *ग़ैर-समय-पूर्व निकासी की सुविधा ☐ *समय-पूर्व निकासी की सुविधा **भुगतान :** ☐ त्रैमासिक ☐ पुनर्निवेश
*जैसा कि शाखा द्वारा पुष्टि की गई है

नॉमिनी एडिशन फार्म DA1

मैं/हम नामांकित करना चाहते हैं ☐ नहीं ☐ मैं/हम नामांकित नहीं करना चाहते ______ ##
(बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949 की धारा 45 ZA और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(1) के तहत नामांकन। बैंक जमा के संबंध में)

मैं/हम ______________________________ पता ____
निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करते हैं जिसे मेरी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में, इस आवेदन पत्र के साथ खोले गए खाते में जमा राशि इक्विटास SFB द्वारा वापस की जा सकती है।

नामांकित व्यक्ति का नाम, ___________________________, पता ____
यदि यह आवेदक के पता से भिन्न है ____
*शहर ______________ *पिन कोड _______________ राज्य __________ संपर्क नंबर __________________________
जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो ___________ उम्र _______ यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, तो उसकी जन्मतिथि ____________
चूँकि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी को नियुक्त करते हैं। _________ अल्पवयस्क नामांकित व्यक्ति के साथ संबंध _______________ नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए।

(प्रथम आवेदक) हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान*** (द्वितीय आवेदक) हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान***

________________________________ ________________________________

दिनांक एवं स्थान ____________________ ______________________ ______________________
प्रथम गवाह के हस्ताक्षर दूसरे गवाह के हस्ताक्षर

*अगर नामांकित व्यक्ति नाबालिग नहीं है तो इसे काट दें। ***अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा
* ##कृपया नीचे 'कोई नामांकन नहीं' घोषणा पर हस्ताक्षर करें

बैंक ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मुझे RBI के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन सुविधा के लाभ के बारे में समझाया था। हालाँकि, मैं/हम नामांकन देने में अपनी विफलता के जोखिम और परिणामों से अवगत हैं और मेरी मृत्यु की स्थिति में आपके बैंक रिकॉर्ड में नामांकन के पंजीकृत हुए बिना अपने विधिक उत्तराधिकारियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं।	मैंने ग्राहक को स्पष्ट रूप से नामांकन सुविधा के फायदे समझाए हैं, इसके बावजूद वह अभी भी नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती है और उसने इस आशय का एक विशिष्ट पत्र प्रदान करने से इंकार कर दिया है कि वह नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती है।
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

खाता संचालन के निर्देश

☐ एकल ☐ या तो या उत्तरजीवी ☐ कोई एक या उत्तरजीवी ☐ संयुक्त रूप से

जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, सावधि जमा के समय-पूर्व परिसमापन की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के समय-पूर्व परिसमापन पर कोई पैनल शुल्क नहीं लगेगा।
जब तक कि कोई उत्तरजीविता खंड न हो, संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, जमा राशि का अधिकार स्वचालित रूप से जीवित संयुक्त जमा खाता धारक को हस्तांतरित नहीं होता है।
मैं/हम सहमत हैं कि उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त सावधि जमा के मामले में, एक या एक से अधिक संयुक्त जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, अनुरोध करने पर, आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर उत्तरजीवी/ओं को समय से पहले सावधि जमा आय का भुगतान करके बैंक को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

PEP घोषणा

PEP घोषणा: पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सनल (PEP) वे हैं जिन्हें किसी विदेशी देश में प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं। उदाहरण के लिए, राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी, आदि। इसके अलावा, पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सनल में पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सनल के तत्काल परिवार के सदस्य जैसे पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता और अन्य रिश्तेदार शामिल होते हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सनल में पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सनल के करीबी सहयोगी जैसे सलाहकार, सचिव और अन्य सहयोगी भी शामिल होते हैं जो पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सनल की ओर से लेनदेन करते हैं।

कृपया अनिवार्य रूप से हाँ/नहीं पर टिक करें (यदि हाँ, तो कृपया सभी आवेदनों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरें)

क्या आवेदक पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड है या PEP से संबंधित है हां ☐ नहीं ☐

नियम और शर्तें

- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, सावधि जमा पर ब्याज की गणना तिमाही अंतराल पर की जाएगी और जमा की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा तय की गई दर पर भुगतान किया जाएगा।
- आवर्ती जमा पर ब्याज की गणना किस्त भुगतान की तिथि से की जाएगी
- मासिक जमा योजना के मामले में, ब्याज की गणना तिमाही के लिए की जाएगी और रियायती मूल्य पर मासिक भुगतान किया जाएगा।
- NRE सावधि जमा की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष है और NRO सावधि जमा की न्यूनतम अवधि 7 दिन है। जहाँ न्यूनतम अवधि पूरी होने से पहले जमा राशि की समय से पहले निकासी होती है, वहाँ कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। NRE फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कोई प्री-क्लोजर जुर्माना नहीं होगा और जमा राशि की बुकिंग की तारीख़ से 6 महीने पूरे होने से पहले प्री-क्लोजर होने पर NRO फिक्स्ड डिपॉजिट पर 1% का प्री-क्लोजर जुर्माना लागू होगा।
- **NRE और NRO FD और RD के लिए वरिष्ठ नागरिक विशेष दरें लागू नहीं हैं**
- अर्जित/भुगतान किए गए NRO FD और RD ब्याज पर 31.2% TDS लागू (4% अधिभार समेत)।
- उपरोक्त दरें 3 करोड़ रुपये से कम मूल्य की खुदरा सावधि जमा पर लागू होती हैं। . 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की सावधि जमा के लिए थोक जमा दरें लागू होती हैं। थोक सावधि जमा दर के लिए कृपया निकटतम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा से संपर्क करें।
- जब तक कि इसे थोक समय-पूर्व बंद करने योग्य सावधि जमा के रूप में बुक नहीं किया गया हो, थोक सावधि जमा परिपक्वता होने तक समय पूर्व-बंद नहीं होते हैं।
- सावधि जमा की समय-पूर्व निकासी के मामले में, जमाकर्ता के निर्देशों के आधार पर या संयुक्त जमा के मामले में सभी संयुक्त जमाकर्ताओं के निर्देशों के आधार पर, बैंक को बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रचलित नियमों के अनुसार सावधि जमा की आय से, पहले ही भुगतान कर दिये गए ब्याज को या यदि कोई हो तो जुर्माना वसूलने का अधिकार है।
- समय-पूर्व समापन - खुदरा सावधि जमा में अनुमति है, हालाँकि, जमा को समय से पहले बंद करने के लिए लागू ब्याज दर उस मूल दर से कम होगी जिस पर जमा बुक किया गया है या उस अवधि के लिए लागू ब्याज दर से कम होगी जब तक जमा राशि बैंक के पास रही।
- किसी भी परिपक्वता निर्देश के अभाव में या नवीनीकरण के मामले में, जमा राशि को नवीनीकरण की तारीख़ पर प्रचलित दर पर मूल जमा अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
- ब्याज दरें परिवर्तन के अधीन हैं और कृपया अद्यतन दरों के लिए बैंक की वेबसाइट देखें।
- सावधि जमा खोलने से पहले अनिवासी भारतीय से निवासी भारतीय की स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को सूचित किया जाना चाहिए।
- किसी व्यक्ति या उत्तरजीवी या दोनों में से किसी एक या उत्तरजीवी के रूप में मोड ऑफ ऑपरेशन के साथ ऑनलाइन माध्यम से या शाखा में सावधि जमा बुक किये जाने पर और समय-पूर्व समापन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर : दोनों खाताधारकों को व्यक्तिगत रूप से होम ब्रांच में जाना होगा और अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपनी सहमति प्रदान करनी होगी।

घोषणा

1. मैं/हम समझते हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक विदेशी मुद्रा ग़ैर-निवासी (FCNR) जमा और निवासी विदेशी मुद्रा (RFC) जमा की पेशकश नहीं करता है।
2. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्याज की गणना लीप वर्ष सहित सभी वर्षों के लिए प्रति वर्ष 365 दिनों के आधार पर करता है।
3. जमाकर्ता में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, समय-पूर्व समापन और 'कोई एक या उत्तरजीवी' या पूर्व या उत्तरजीवी' या 'कोई भी' आधार पर रखी गई सावधि जमा का भुगतान उत्तरजीवी को करने की अनुमति दी जाएगी। उत्तरजीवी/यों को ऐसा भुगतान बैंक को वैध डिस्चार्ज प्रदान करेगा। इस तरह की समय-पूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगेगा। हालाँकि, ब्याज दर जमा राशि के बैंक में रहने की अवधि या अनुबंधित दर, जो भी कम हो, के लिए लागू दर होगी।
4. आगे मैं/हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्तरजीवी को ऐसी जमा राशि के प्रोसीड्स का भुगतान बैंक की देनदारी के वैध डिस्चार्ज का प्रतिनिधित्व करता है। बैंक को उक्त खाते से भुगतान करने से रोकने का किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं है, यह कि उत्तरजीवी को मृत जमाकर्ता के विधिक उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में बैंक से भुगतान प्राप्त होगा और उसे किया गया ऐसा भुगतान उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा जो किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का उस उत्तरजीवी के विरुद्ध हो सकता है, जिसे भुगतान किया गया है।
5. जहाँ जमा राशि एकल रूप से रखी जाती है और जमाधारक की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति द्वारा समय से पहले निकासी की आवश्यकता होती है। मेरी मृत्यु की स्थिति में, जमा राशि के लिए नामांकित व्यक्ति मेरे विधिक उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना, बैंक से अनुरोध करने पर उक्त जमा राशि को समय से पहले वापस लेने का हक़दार है। मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि नामांकित व्यक्ति को ऐसी जमा राशि का भुगतान बैंक की देनदारी के वैध डिस्चार्ज का प्रतिनिधित्व करता है। यह कि नामांकित व्यक्ति को बैंक से मृत जमाकर्ता के विधिक उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में भुगतान प्राप्त होगा और उसे ऐसा भुगतान उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा जो मेरे विधिक उत्तराधिकारियों के पास उस नामित व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है जिसे भुगतान किया गया है।

दिनांक : ____________________

हस्ताक्षर

फॉर्म 60

घोषणा के लिए फॉर्म किसी ऐसे व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा भरा जाना है, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114B में निर्दिष्ट किसी भी लेनदेन में प्रवेश करता है।

यदि पैन के लिए आवेदन किया है और यह अभी तक जेनरेट नहीं हुआ है, तो आवेदन की तारीख़ _DD/_MM/YYYY और पावती संख्या दर्ज करें।

यदि पैन लागू नहीं किया गया है, तो उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित कुल आय (आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय समेत) भरें, जिसमें उपरोक्त लेनदेन हुआ है।

A.**कृषि आय रु.**____________________	B.**कृषि आय के अलावा रु.** ____________________

सत्यापन

"मैं/हम...एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। आगे, मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरे पास कोई स्थायी खाता संख्या नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि समेत की आय) की गणना उस वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है जिसमें उपरोक्त कर के दायरे में न आने वाली अधिकतम राशि से अधिक राशि का लेनदेन किया जाता है, आज, ...20.......के................................दिन सत्यापित किया गया।

दिनांक : ____________________ **स्थान** ____________________

प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर	दूसरा आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक के उपयोग हेतु

खाता संख्या. :________________ उत्पाद कोड. : ________________ मूल्य तिथि. : ________________	LG कोड शाखा कोड ________________ LG कोड ________________	CSO/BOM/RM हस्ताक्षर.: ____________ BM हस्ताक्षर: ________________	शाखा मोहर	शाखा मोहर